

श्री राज्यपाल मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा-243 के अन्तर्गत निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को वर्ष 2024 ई0 (शक संवत् 1945-46) के लिये समस्त उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं-

वर्ष 2024 अर्थात् शक संवत् 1945-46 की सार्वजनिक अवकाशों की सूची

अनुसूची-1

| क्र. सं. | त्यौहारों का नाम | ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि | राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि | सप्ताह का दिन |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | गणतंत्र दिवस | 26 जनवरी, 2024 | 06 माघ, 1945 | शुक्रवार |
| 2 | महाशिव रात्रि | 08 मार्च, 2024 | 18 फाल्गुन, 1945 | शुक्रवार |
| 3 | होलिका दहन | 24 मार्च, 2024 | 04 चैत्र, 1946 | रविवार |
| 4 | होली | 25 मार्च, 2024 | 05 चैत्र, 1946 | सोमवार |
| 5 | गुड फ्राईडे | 29 मार्च, 2024 | 09 चैत्र, 1946 | शुक्रवार |
| 6 | *ईद-उल-फितर | 11 अप्रैल, 2024 | 22 चैत्र, 1946 | बृहस्पतिवार |
| 7 | डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती | 14 अप्रैल, 2024 | 25 चैत्र, 1946 | रविवार |
| 8 | राम नवमी | 17 अप्रैल, 2024 | 28 चैत्र, 1946 | बुधवार |
| 9 | महावीर जयन्ती | 21 अप्रैल, 2024 | 01 वैशाख, 1946 | रविवार |
| 10 | बुद्ध पूर्णिमा | 23 मई, 2024 | 02 ज्येष्ठ, 1946 | बृहस्पतिवार |
| 11 | *ईद-उल-जुहा (बकरीद) | 17 जून, 2024 | 27 ज्येष्ठ, 1946 | सोमवार |
| 12 | हरेला | 16 जुलाई, 2024 | 25 आषाढ़, 1946 | मंगलवार |
| 13 | *मोहर्रम | 17 जुलाई, 2024 | 26 आषाढ़, 1946 | बुधवार |
| 14 | स्वतन्त्रता दिवस | 15 अगस्त, 2024 | 24 श्रावण, 1946 | बृहस्पतिवार |
| 15 | रक्षा बन्धन | 19 अगस्त, 2024 | 28 श्रावण, 1946 | सोमवार |
| 16 | जन्माष्टमी | 26 अगस्त, 2024 | 04 भाद्रपद, 1946 | सोमवार |
| 17 | * ईद ए मिलाद / मिलाद-उन-नबी बारावफात | 16 सितम्बर, 2024 | 25 भाद्रपद, 1946 | सोमवार |
| 18 | महात्मा गांधी जयन्ती | 02 अक्टूबर, 2024 | 10 आश्विन, 1946 | बुधवार |
| 19 | दशहरा (विजयदशमी) | 12 अक्टूबर, 2024 | 20 आश्विन, 1946 | शनिवार |
| 20 | महर्षि वाल्मीकि जयन्ती | 17 अक्टूबर, 2024 | 25 आश्विन, 1946 | बृहस्पतिवार |
| 21 | दीपावली | 01 नवम्बर, 2024 | 10 कार्तिक, 1946 | शुक्रवार |
| 22 | दीपावली (गोबर्द्धन पूजा) | 02 नवम्बर, 2024 | 11 कार्तिक, 1946 | शनिवार |
| 23 | ईगास-बगवाल | 12 नवम्बर, 2024 | 21 कार्तिक, 1946 | मंगलवार |
| 24 | गुरु नानक जयन्ती | 15 नवम्बर, 2024 | 24 कार्तिक, 1946 | शुक्रवार |
| 25 | क्रिसमस दिवस | 25 दिसम्बर, 2024 | 04 पौष, 1946 | बुधवार |

2- उत्तराखण्ड सचिवालय/विधान सभा और जिन कार्यालयों में पाँच दिवसीय सप्ताह लागू है, के फलस्वरूप **अनुसूची-2** में घोषित सार्वजनिक अवकाश सचिवालय/विधान सभा में लागू नहीं होंगे अपितु इन अवकाशों को अब निर्बन्धित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया, मानते हुए उन्हें निर्बन्धित अवकाशों के रूप में ऐसे अवकाशों को लेने की अनुमत्य सीमा तक नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

3- श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट अवकाशों को भी वर्ष 2024 (शक संवत् 1945-46) वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं।

अनुसूची -2

| क्र. सं. | त्यौहारों का नाम | ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि | राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि | सप्ताह का दिन |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | श्री गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती | 17 जनवरी, 2024 | 27 पौष, 1945 | बुधवार |
| 2 | चेटीचन्द | 09 अप्रैल, 2024 | 20 चैत्र, 1946 | मंगलवार |
| 3 | विश्वकर्मा पूजा | 17 सितम्बर, 2024 | 26 भाद्रपद, 1946 | मंगलवार |
| 4 | गुरु तेगबहादुर शहीद दिवस | 06 दिसम्बर, 2024 | 15 अग्रहायण, 1946 | शुक्रवार |

4- मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा-247 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार जिलाधिकारियों को इस पैरा में दिए प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय छुट्टियाँ जिनकी संख्या **03 (तीन)** से अधिक न हो, घोषित करने का प्राधिकार है। इसके अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स के पैरा 247 के अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा घोषित किये जाने वाले स्थानीय अवकाशों में, उत्तराखण्ड विधानसभा/सचिवालय तथा जिन कार्यालयों में पाँच दिवसीय सप्ताह लागू है, खुले रहेंगे।

- *यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।
- अनुसूची-1 के द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक/कोषागार/उपकोषागार में लागू नहीं होंगे।
- बैंक/कोषागार/उपकोषागार में निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत घोषित अवकाश लागू होंगे, जो कि अनुसूची-4 में सूचीबद्ध किये गये हैं।

5- प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित अनुसूची में दी गयी निर्बन्धित छुट्टियों में से किन्हीं दो 1/177725/2023 छुट्टियों को, जो वह लेना चाहें, मनाने की अनुमति दी जायेगी:-

निर्बन्धित अवकाशों की सूची

अनुसूची-3

| क. सं. | त्यौहारों का नाम | ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि | राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि | सप्ताह का दिन |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | नव वर्ष दिवस | 01 जनवरी, 2024 | 11 पौष, 1945 | सोमवार |
| 2 | मकर संक्रान्ति | 15 जनवरी, 2024 | 24 पौष, 1945 | सोमवार |
| 3 | बसंत पंचमी | 14 फरवरी, 2024 | 25 माघ, 1945 | बुधवार |
| 4 | गुरु रविदास जन्मदिवस | 24 फरवरी, 2024 | 05 फाल्गुन, 1945 | शनिवार |
| 5 | *शब-ए-बारात | 25 फरवरी, 2024 | 06 फाल्गुन, 1945 | रविवार |
| 6 | ईस्टर मन्डे | 01 अप्रैल, 2024 | 12 चैत्र, 1946 | सोमवार |
| 7 | *जमात-उल-विदा | 05 अप्रैल, 2024 | 15 चैत्र, 1946 | शुक्रवार |
| 8 | वैशाखी | 13 अप्रैल, 2024 | 24 चैत्र, 1946 | शनिवार |
| 9 | वीर केशरीचन्द्र शहीद दिवस | 03 मई, 2024 | 13 वैशाख, 1946 | शुक्रवार |
| 10 | *चैहल्लुम | 25 अगस्त, 2024 | 02 भाद्रपद, 1946 | शनिवार |
| 11 | अनन्त चतुर्दशी | 17 सितम्बर, 2024 | 26 भाद्रपद, 1946 | मंगलवार |
| 12 | महाराजा अग्रसेन जयंती | 03 अक्टूबर, 2024 | 11 आश्विन, 1946 | बृहस्पतिवार |
| 13 | दशहरा (महाष्टमी / महानवमी) | 11 अक्टूबर, 2024 | 19 आश्विन, 1946 | शुक्रवार |
| 14 | दीपावली (नरक चतुर्दशी) | 31 अक्टूबर, 2024 | 09 कार्तिक, 1946 | बृहस्पतिवार |
| 15 | भैयादूज | 03 नवम्बर, 2024 | 12 कार्तिक, 1946 | रविवार |
| 16 | छठ पूजा | 07 नवम्बर, 2024 | 16 कार्तिक, 1946 | बृहस्पतिवार |
| 17 | किसमस (पूर्व संध्या) | 24 दिसम्बर, 2024 | 03 पौष, 1946 | मंगलवार |

- *यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अर्न्तगत घोषित अवकाश

6- निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2024 ई0 (शक संवत् 1945-46) के वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं:-

अनुसूची-4

| क्र. सं. | त्योहारों का नाम | ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि | राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि | सप्ताह का दिन |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | गणतंत्र दिवस | 26 जनवरी, 2024 | 06 माघ, 1945 | शुक्रवार |
| 2 | महाशिव रात्रि | 08 मार्च, 2024 | 18 फाल्गुन, 1945 | शुक्रवार |
| 3 | होलिका दहन | 24 मार्च, 2024 | 04 चैत्र, 1946 | रविवार |
| 4 | होली | 25 मार्च, 2024 | 05 चैत्र, 1946 | सोमवार |
| 5 | गुड फ्राईडे | 29 मार्च, 2024 | 09 चैत्र, 1946 | शुक्रवार |
| 6 | वाणिज्यिक बैंको की वार्षिक लेखा बन्दी | 01 अप्रैल, 2024 | 12 चैत्र, 1946 | सोमवार |
| 7 | *ईद-उल-फितर | 11 अप्रैल, 2024 | 22 चैत्र, 1946 | बृहस्पतिवार |
| 8 | डा० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती | 14 अप्रैल, 2024 | 25 चैत्र, 1946 | रविवार |
| 9 | राम नवमी | 17 अप्रैल, 2024 | 28 चैत्र, 1946 | बुधवार |
| 10 | बुद्ध पूर्णिमा | 23 मई, 2024 | 02 ज्येष्ठ, 1946 | बृहस्पतिवार |
| 11 | *ईद-उल-जुहा (बकरीद) | 17 जून, 2024 | 27 ज्येष्ठ, 1946 | सोमवार |
| 12 | हरेला | 16 जुलाई, 2024 | 25 आषाढ़, 1946 | मंगलवार |
| 13 | स्वतन्त्रता दिवस | 15 अगस्त, 2024 | 24 श्रावण, 1946 | बृहस्पतिवार |
| 14 | रक्षा बन्धन | 19 अगस्त, 2024 | 28 श्रावण, 1946 | सोमवार |
| 15 | जन्माष्टमी | 26 अगस्त, 2024 | 04 भाद्रपद, 1946 | सोमवार |
| 16 | * ईद ए मिलाद / मिलाद-उन-नबी बारावफात | 16 सितम्बर, 2024 | 25 भाद्रपद, 1946 | सोमवार |
| 17 | महात्मा गांधी जयन्ती | 02 अक्टूबर, 2024 | 10 आश्विन, 1946 | बुधवार |
| 18 | दशहरा (विजयदशमी) | 12 अक्टूबर, 2024 | 20 आश्विन, 1946 | शनिवार |
| 19 | दीपावली | 01 नवम्बर, 2024 | 10 कार्तिक, 1946 | शुक्रवार |
| 20 | दीपावली (गोबर्द्धन पूजा) | 02 नवम्बर, 2024 | 11 कार्तिक, 1946 | शनिवार |
| 21 | ईगास-बग्वाल | 12 नवम्बर, 2024 | 21 कार्तिक, 1946 | मंगलवार |
| 22 | गुरु नानक जयन्ती | 15 नवम्बर, 2024 | 24 कार्तिक, 1946 | शुक्रवार |
| 23 | क्रिसमस दिवस | 25 दिसम्बर, 2024 | 04 पौष, 1946 | बुधवार |

*यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

उपरोक्त अवकाश आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के क्रम में जारी किये गये हैं, जो कि **बैंक/कोषागारों/उप कोषागारों में लागू होंगे।**

Signed by Vinod Kumar

Suman

Date: 26-12-2023 15:48:44 (विनोद कुमार सुमन)

सचिव

संख्या-1881/xxx(15)G/23-74(सा0)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001
2. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल का सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
10. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
15. सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राज्य के समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार हेतु।
17. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूड़की को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं 300 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. समस्त राज्य सरकारों तथा संघ शासित के मुख्य सचिव एवं रीजनल डायरेक्टर इण्डियन मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमेन्ट, अलीपुर, कोलकाता।
19. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
20. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)

सचिव